117/12 2012/00008

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायीन अधिकारी – विनोद कुमार आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 117/2012

1. जगदीश पुत्र शिवचरन जाति राय निवासी टहरी तहसील सैंपऊ

– – – – वादी

बनाम

1–वैकुण्टी पत्नी मेवाराम (फौत)2–प्रेमसिह 3–ज्ञानसिह पुत्रगण मेवाराम
4–गंगादेई (फौत) 5–रामवेटी (फौत) 6–गुड्डी पुत्रीयांन मेवाराम समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण चौराखेडा तहसील सैपऊ

– – – – असल प्रतिवादीगण

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपउ

————तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एंव दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट

उपस्थिति –
1–श्री गिरीस व्यास .....(वादी)

निर्णय दिनांकः 12.09.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह दावा वादी द्वारा पेष किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1248 रकवा 15 विस्वा वाके ग्राम टहरी का पुरा तहसील सैपऊ में स्थित है प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के पूर्व पुरूष स्व0 मेवाराम पुत्र वीधाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम चौराखेडा तहसील सैपऊ थे जिन्हौने विवादित कृर्षि भूमि कि अधिकार खातेदारी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.07.1982 को वादी के हक में कर दिया था उसी दिन से मौके पर कब्जा केता का करा दिया था तथा निरन्तर केता काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी कर रहा है। वादी कम पढा लिखा कानूनी प्रक्रिया से अनिभिज्ञ मजदूर काश्तकार व्यक्ति है। जिस कारण कृर्षि भूमि के राजस्व अभिलेख की जानकारी नही रही । विक्रय पत्र निस्पादित होने के उपरान्त तत्कालिन पटवारी हल्का को नामा0 के लिये दे दिया गया । पटवारी हल्का ने राजस्व अभिलेख में वादी की प्रविष्टी बतौरा खातेदार अंकित किये जाने हेतु आश्वस्त कर दिया था इसलिये वादी आश्वासन के कारण आश्वस्त रहा । पटवारी हल्का द्वारा उपरौक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 की कार्यवही नही करने के कारण राजस्व अभिलेख में पूर्व विकेता स्व0 मेवाराम की प्रविष्टी अंकित रही ।

विक्रेता मेवाराम का दैहान्त स्वभाविक रूप से हो चुका है जिनके वारिसान वादी संख्या 1 लगायगत 06 ने पटवारी से साझा कर चुपचाप गोपनीय तरीके से के नाम नामा0 विरासत स्वीकार करा लिया और राजस्व अभिलेख में स्वंय की की अंकित करा ली । इस प्रकार नामा. स्वीकार कराया गया जो वादी के विरूद्ध एण्ड वॉइड है जिसे चैलेन्ज करने का वादी को हक है। साथ ही वादी को प्रतिवादीगण द्वारा यह धमकी दी गई कि विवादित आराजी उनके नाम होने के कारण वादी को काश्त करने से बैदखल कर देगें. । अन्त में प्रार्थना की कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1248 वाके ग्राम टहरी का पुरा तहसील सैफ्क के राजस्व अभिलेख में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टियों को निरस्त किया जाकर वादी की प्रविष्टियां अंकित की जावें ।साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वादी के विवादित कृषि भूमि में एकान्तिक उपयोग व उपभोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें और ना ही बैदखल करें ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 27.01.2012 को बाबजूद सूचना को अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 06.03.2014 को रजिस्ट्री लिफाफो पर डाक विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के लिफाफो पर देहान्त होना अंकित किया गया । प्रतिवादी संख्या 3 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा दिनांक 13.07.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 रूल 04 पेश किया गया जो दिनांक 14.10.2015 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5 के आगे टेंविल पर ही फौत अंकित किया गया। दिनांक 23.11.2017 एंव 06.12.2017 को कृमशः जगदीश एंव कम्पोटर पीडब्लू–1 , राजेन्द्रप्रसाद पीडब्लयू–2 के साक्ष्य एकपक्षीय ब्यान कलमबद्ध किये गयें। बहस एकपक्षीय सुनी गई । वाद एंव पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 1 लगायत 4 जमावन्दी विक्रय पत्र का अवलोकन किया । इससे हम वाद वादी को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1248 रकवा 15 विश्वा स्थित वाके ग्राम टहरी का पुरा तहसील सैफ्क में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम विलोपित कर इनके स्थान पर जगदीश पुत्रश्री शिवचरन जाति राय निवासी टहरी तहसील सैफ्क को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के क़ब्जे काश्त में मजाहमत , मदाखलत बेजा नही करें। पर्चा डिकी जारी की जावे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

माज अदालत – उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
ा इजलास – विनोद कुमार मीणा आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या– 117/2012

जगदीश पुत्र शिवचरन जाति राय निवासी टहरी तहसील सैंपऊ
– – – – वादी

बनाम

1–बैकुण्टी पत्नी मेवाराम (फौत) 2–प्रेमसिह 3–ज्ञानसिह पुत्रगण मेवाराम
4–गंगादेई (फौत) 5–रामवेटी (फौत) 6–गुड्डी पुत्रीयांन मेवाराम समस्त जातिगण
ठाकुर निवासीगण चौराखेडा तहसील सैपऊ
– – – – असल प्रतिवादीगण

7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपउ
————तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा एंव दुरूस्ती
इन्द्राज एंव स्थाई निषेधाज्ञा अधीन
धारा 88, 188 आरटीएक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ विनोद कुमार मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री गिरिस व्यास एडवोकेट एंव मिनजानिव मुद्दायलह श्री ..... एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है । अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1248 रकवा 15 विश्वा स्थित वाके ग्राम टहरी का पुरा तहसील सैपऊ में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का नाम विलोपित कर इनके स्थान पर जगदीश पुत्रश्री शिवचरन जाति राय निवासी टहरी तहसील सैपऊ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत , मदाखलत बेजा नही करें। पर्चा डिक्री जारी की जावे ।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.09.2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ